FORM NO. III

APP 3
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
जिला- बूंदी (राज.)

कल्याण बनाम राज० सरकार

79/दावा/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.7.21	वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 RT Act के तहत रामबाबु शर्मा प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी के तहत वकील [illegible] ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी पी सी पर वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 1.11.21 को पेश हो।	प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प को. नोटिस [illegible]
11/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट खानपुरा मे आज पेश हुई पक्षकारान को नोटिस बाद तामील संलग्न है। तहसीलदार नैनवां ने अपने जवाब दावा में निवेदन किया है कि प्रार्थी ग्राम खानपुरा के खसरा नम्बर पर 1337/2066 रकबा 1.6180 हेक्टेयर पर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है/ उक्त भूमि का आवंटन आवंटी को दि० 2.6.1992 को होना पाया गया है लेकिन प्रार्थी ने अपने वाद पत्र में आवंटन आदेश संलग्न नही किया है। आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है। तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नही की गई है। मैंने वाद पत्र, शपथ-पत्र प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज तथा जवाब पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नही की गई है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:45:54 IST
Reason: SelfAttested